न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	21/24	2024/46	11.07.2024	सरकार बनाम जय नारायण मीना व अन्य	26.02.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 21/2024 (2024/46)

उनवान प्रकरण

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। – आवेदक

बनाम

1. श्री जयनारायण मीना पुत्र श्री प्रसादी लाल मीना (विक्रेता एवं मैनेजर) मैसर्सी– आश्विका मिल्क डेयरी जयपुर रोड अरण्या, गंगापुर सिटी 322201
2. श्रीमति गुड्डी बाई मीना पत्नी श्री मुकेश मीना (प्रोपराईटर) मैसर्सः– आश्विका मिल्क डेयरी जयपुर रोड़ अरण्या, गंगापुर सिटी 322201 निवासी– नवीन स्कूल, नसियां कॉलोनी, गंगापुर सिटी 322201. 9958533925 – अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहा अभियान (शुद्ध के लिये युद्ध) के तहत दिनांक 14.07.2023 को दोपहर 02:00 पीएम पर कार्य आश्विका मिल्क डेयरी जयपुर रोड़ अरण्या, गंगापुर सिटी संस्थान पहुंचा पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने स्वयं को विक्रेता एवं गुड्डी बाई मीना को प्रोपराईटर होना बताया एवं अपना नाम जयनारायण मीना पुत्र श्री प्रसादी लाल मीना बताया एवं श्री जयनारायण मीना को मैनें अपना परिचय पत्र दिखाया एवं संस्थान का निरीक्षण करने हेतु कहां एवं संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु फुल किंग मिल्क (आश्विका) 500–500 एमएल के पैकिंग में रखा हुआ था। उक्त फुल किम मिल्क (आश्विका) में गुणवत्ता में कमी का अन्देशा होने पर वास्ते नमुना जॉच 2 लीटर कुल 4 पैकेट 500–500 एमएल खरीदकर उसकी कीमत 116/– रुपये विक्रेता श्री जयनारायण मीना को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राजेन्द्र पोसवाल एवं श्री वेद प्रकाश पूर्विया के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीचशुदा 2 लीटर फूल किम मिल्क (आश्विका) (500एएल के 4 पैकेट्स) को चार नयी खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा फुल किम मिल्क (आश्विका) को प्रत्येक [illegible] 500 एमएल डालकर एवं प्रत्येक बोतल में फॉरमलीन की 40–40 बूंदें डालकर बोतल को [illegible] लगाकर हेयरस्ट्राईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और [illegible] पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच –2933 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता [illegible] गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

–2933 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को बागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. हुए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री जयनारायण मीना ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री जयनारायण मीना को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जंगा कसकर रसीदें प्राप्त की जा न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/931 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2877/एक्ट/2023/ 2981 दिनांक 27.07.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ फुल किम मिल्क (आश्विका) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड फुल किम मिल्क (आश्विका) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की सम्यक् रूप से तामिल होने पर भी अभियुक्त सं0 1 जयनारायण दिनांक 07.10.2024 को व अभियुक्त संख्या 2 गुड्डी बाई मीना दिनांक 18.11.2024 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए तथा दौराने बहस दिनांक 30.01.2026 , 09.02.2026 , 20.02.2026 को अभियुक्तगण सं0 1 व 2 न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। अतः पत्रावली में उपलब्ध देस्तावेंजों अनुसार गुणावगुण पत्र पत्रावली निरस्तारण हेतु पत्रावली [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि [illegible] ने खाद्य पदार्थ फुल किम मिल्क (आश्विका) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
मु0नं0 21/24 (2024/46) सरकार बनाम जयनारायण मीना व अन्य

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2877/एक्ट/2023/ 2981 दिनांक 27.07.2023 निम्नानुसार है:—

22

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-VII A
Test Report of the Food Analyst
[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

NABL TC 6746

Report No. L.S. / 2877 / Act / 2023 / 2981 Date: 27-07-2023

Certified that I Pratibha Meena, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for Rajasthan state received from Sh. Virenderr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Pasteurized Full Cream Milk" bearing Code number and Serial number H-2933 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 17-07-2023 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.2 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 19-07-2023 to 27-07-2023 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact narrow mouth plastic bottle. The original label of sample (packing of 500ml.) sent by Food Safety Officer along with sample bottle).

(2) Physical appearance : - White coloured liquid.

Sl. No	Quality Characteristics.	Nature of method of test used	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Milk Fat.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016. METHOD NO. 1.3.4:2016	6.6%	Minimum 6.0%
2.	Milk solids not fat.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS2016 METHOD NO. 3.4:2016	8.65%	Minimum 9.0%
3.	Test for added Starch.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.2:2016	Negative.	Should be negative.
4.	Test for added Sugar (Sucrose).	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.1:2016	Negative.	Should be negative.
5.	Test for added Urea.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.4:2016	Negative.	Should be negative.
6.	Test for Neutralizer.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS2016 METHOD NO. 1.2.11:2016	Negative.	Should be negative.
7.	B.R. Reading of extracted fat at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.3.3:2016	42.7	40.0 to 44.0 (Milk fat).
8.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOODADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016:2016	Absent.	Absent.

Opinion-The sample of "Pasteurized Full Cream Milk" bearing Code No. and Sr. No. H-2933 of Designated Office cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation; 2011.

Signed this 27st day of July 2023

Food Analyst
(Authorized Signatory)
PRATIBHA MEENA
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:38 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ फुल क्रिम मिल्क (आश्विका) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। जिसमें **Milk solids not fat** के अर्न्तगत न्यूनतम 9 प्रतिशत के स्थान पर 8.65 प्रतिशत आया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Verdict: Below Standard.
A result of 8.65% Solids-Not-Fat (SNF) in pasteurized full cream milk is below the standard minimum requirement of 9.0% SNF, as mandated by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) and the Bureau of Indian Standards (BIS).
Full Cream Milk Standards (India):
Minimum Fat: 6.0%
Minimum SNF: 9.0%
Analysis of 8.65% SNF Result:
Deviation: The sample is deficient in protein, lactose, and minerals (which constitute SNF) by 0.35% compared to the minimum legal requirement.
Potential Causes: The milk may be diluted with added water, or it is a sub-standard mix that was not properly standardized with skim milk solids.
Regulatory Standing: According to FSSAI standards, if the milk does not meet these criteria, it may be classified as "substandard".

तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ फुल क्रिम मिल्क (आश्विका) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत पृथक–पृथक रूप से जुर्माना राशि 50,000–50,000 रूपये (अक्षरे–पचास–पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:38 IST
Reason: SelfAttested